न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–633/2012 (2012/00071)223/दूदू

1. धन्ना पुत्र चतरा उर्फ चन्द्रा जाति जाट निवासी कड़वों का बास, तहसील मौजामबाद जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गलोल देवी पुत्री चतरा उर्फ चन्द्रा जाति जाट निवासी कड़वों का बास, तहसील मौजामबाद पत्नि भींवाराम जाति जाट निवासी गोड़ोती, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।
2. घासी पुत्र गुल्ला जाति जाट निवासी कड़वों का बास, तहसील मौजामबाद जिला जयपुर।
3. श्रीमती रामकुरी पुत्री चतरा उर्फ चन्द्र निवासी कड़वों का बास तहसील मौजामबाद।
4. बलदेव पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी कड़वों का बास तहसील मौजामबाद जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, मौजमबाद जिला जयपुर।
7. श्रीमती मनभर पुत्री श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्योनारायण जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
8. श्रीमती नोसर पुत्री स्व.ग्यारसीदेवी पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील फागी जिला जयपुर ।
9. श्रीमती गलखू पुत्री ग्यारसीदेवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी पैम्पपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2012, वाद संख्या 235/2006 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, दूदू ।

उपस्थितः–

1. श्री भैंरू लाल शर्मा एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री उदयसिंह चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. श्री पी.एस.नरूका एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ,06 की ओर से।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 14.11.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा वाद संख्या 235/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 09 बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 27 के आराजी खसरा नम्बर 3573, खतौनी संख्या 207 की आराजी खसरा नम्बर 3216, खसरा नम्बर 3414, खसरा नम्बर

3418, खसरा नम्बर 3402, खसरा नम्बर 3477, खसरा नम्बर 3479 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खतौनी संख्या 205 के आराजी खसरा नम्बर 2793, खसरा नम्बर 2996, खसरा नम्बर 3056, खसरा नम्बर 3184, खसरा नम्बर 3455, खसरा नम्बर 3157, खसरा नम्बर 3663, खसरा नम्बर 3669, खसरा नम्बर 3684, खसरा नम्बर 3685, खसरा नम्बर 3690, खसरा नम्बर 3699, खसरा नम्बर 3705 कुल किता 13 कुल रकबा 54 बीघा, खतौनी संख्या 13 के आराजी खसरा नम्बर 3556, खतौनी संख्या 20 की आराजी खसरा नम्बर 3555, खसरा नम्बर 3571, कुल किता 02 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम कड़वा का बास, तहसील मौजमाबाद व खतौनी संख्या 212 के आराजी खसरा नम्बर 522, खसरा नम्बर 523 कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम खटवाड़ तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित हैं। वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वादीनी ने अपना हिस्सा दर्शाते हुए सिजरा दर्शा कर उपरोक्त भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य बताते हुए विवादित आराजीयात चतरा पुत्र उर्फ चन्द्रा की आराजीयात बताते हुए घोषणा चाही एवं खतौनी संख्या 27, 207, 205, 13, 20 ग्राम कड़वा का बास की आराजी का पर्चा वरवक्त सैटलमेंन्ट अन्य सहखातेदारों के साथ–साथ चतरा उर्फ चन्द्रा के जारी होना बताते हुए विरासत का नामान्तकरण चतरा उर्फ चन्द्रा का गलत रूप से खुलवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के तथ्य दर्ज किये तथा आराजीयात में तीनों पुत्र क्रमशःधन्ना, नानगा, गुल्ला व दो पुत्रियॉ गलोल, रामकुरी का बराबर हिस्सा होने का अनुतोष चाहते हुए वाद प्रस्तुत किया। जिस पर तलबी प्रतिवादीगण की गई। ग्यारसी देवी जो कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 04, 07, 08, 09 की माता थी की ओर से एवं वर्तमान अपीलांट एवं नानगा मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 3 कायम था जो दौराने फौत हो गया एवं दिनांक 28.06.2011 उक्त नानगा प्रतिवादी संख्या 03 का नाम हफज किया गया एवं तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लिये जाकर दिनांक 09.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2012 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.04.2012 को वादीनी का वाद डिक्री घोषणा की एवं आदेश दिया कि जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 की खतौनी संख्या 13, 20, 27, 205, 207 वाकै ग्राम कड़ा का वास में प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के नाम दर्ज भूमि में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार किया गया, जो विधि सम्मत नहीं था। चुॅकि प्रथम दृष्टया नामान्तकरण संख्या 279 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा वादग्रस्त आरजीयात का जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 28.11.2006 के अनुरूप अपीलांट के हक में नानगा का हिस्सा दर्ज हो चुका हैं। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि समस्त राजस्व इन्द्राजात का अवलोकन करते हुए उन पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8/1 से 8/5 के जवाब दावे के मद संख्या 14, 15, 16, 17, 18 में दर्ज तथ्यों एवं कानूनी बिन्दूओं पर विवेचन किए बिना निर्णय व डिक्री पारित की हैं जो निरस्त योग्य हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड व काबिज खातेदार काश्तकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अनाधिकृत रूप से अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा हैं। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 आपस में दुरभी संधी कर रखी हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करवाया हैं इस महत्वपूर्ण तथ्य का

अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार विवेचन नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2012 अस्पष्ट होने के बावजूद भी तहसीलदार, मौजमाबाद ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 से सांठ–गांठ करते हुए नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 27.07.2012 अमल दरामद कर दिया जिसके मुताबिक पूर्व में दर्ज हकत्याग संख्या 279 दिनांक 20.12.2006 पूर्व उल्लेखित इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज कर हिस्सा 3/5 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दर्ज कर दिया जबकि कानूनी अपीलांट 2/5 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/5 हिस्से के अुनसार ही डिक्री पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट काफी वृद्ध एवं चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण एवं वर्तमान में करीब 3–4 महिनों से टाईफाईड से ग्रसित होने के कारण तत्पश्चात मौसमी बीमारियॉ हो जाने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। इसलिए अपीलांट की अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। अतं में अनुरोध किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04. 2012 निरस्त किया जावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी चतरा उर्फ चन्द्रा के नाम राजस्व रेकार्ड थी उनके मृत्यु के पश्चात अकेले प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने अपने नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवा लिया जबकि विवादित आराजी में भाईयों के साथ बहिनों का भी हक अधिकार होने के कारण उनके नाम भी बराबर–बराबर हक हिस्सा होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीनी का वाद विधि सम्मत पारित की जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2012 को वादीनी का वाद डिक्री किया जिसमें जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 की खतौनी संख्या 13, 20, 27, 205, 207 वाकै ग्राम कड़वा का बास में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज भूमि में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 04 को 1/5–1/5 हिस्से का खातदेार काश्तकार घोषित किया गया हैं किन्तु उन्होनें नानगा द्वारा दिनांक 28.11. 2006 को रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा भूमि धन्ना पुत्र चतरा उर्फ चन्द्रा के पक्ष में की हैं तथा नामान्तकरण संख्या 279 दिनांक 20.12.2006 द्वारा नागना के हिस्से की भूमि जो कि धन्ना के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी हवाला अपने निर्णय में अंकित नहीं किया हैं एवं सहायक कलक्टर, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.1998 के नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 21.07.1999 के द्वारा जिस पर दिनांक 21.07.1999 के बाद उक्त आराजी पर अपने–अपने दर्ज हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 व भंवरलाल, जवाहर लाल, तेजकरण पिसरान रामजीवण आज तक काबिज है। इसी प्रकार प्रकरण में सहखातेदार भंवरलाल, जवाहरलाल, तेजकरण पुत्रान रामजीवण को पक्षकार अंकित नहीं किया गया हैं । इस प्रकार इन महत्वूपर्ण तथ्यों का विवेचन किया बिना निर्णय पारित किया हैं जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 09.04.2012 निरस्त योग्य हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे अपीलांट/वादी को अपने पक्ष में रेकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य व सुनवाई कर तनकीयात कायम कर पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2012 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी,दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे उपरोक्त उल्लेखित Observations के क्रम में सहखातेदार भंवरलाल,

जवाहरलाल, तेजकरण पुत्रान रामजीवण को पक्षकार अंकित कर पक्ष कारान को अपने पक्ष में रिकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य, सुनवाई कर बाद तनकीयात कायम कर पुनः निर्णय पारित करें। अपील फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 14.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर